कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

बडे गिरोह होने की संभावना स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, रेल्वे सुरक्षा बल ने पकड़ा कछुआ तस्कर

प्रेस विज्ञप्ती (**06/26, दिनांक 03.02.2026)**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशन में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर रेल गाड़ी संख्या 19322 पटना इंदौर एक्प्रेस के प्रथम श्रेणी वातानकूलित श्यान्यान (फस्ट एसी कोच) में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल, रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) एवं वनमण्डल भोपाल के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 01 आरोपी अजय सिंह राजपूत वल्द रामकुमार के पास से 311 नग दुर्लभ प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं को जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/23 दिनांक 03.02.2026 पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रथम दृष्ट्या वन अपराध अंतर्राज्जीय स्तर का होना के कारण ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश ने स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश को प्रकरण दर्ज करने हेतु निर्देशित किया। आरोपी से विस्तृत पूछताछ कर माननीय न्यायालय दिनांक 04.02.2026 को प्रस्तुत किया जावेगा एवं वन्यजीव कछुओं को वन्यजीव पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत उनके प्राकृतिक रहवास में मुक्त किया जावेगा।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल